प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 907 / 2023

अनवान : –

1. रोहित पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. गणपत पुत्र खिराज जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. सूर्य प्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. सुमन पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. मांगेराम पुत्र स्व0 गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. विमला देवी पत्नी स्व0 गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. रेशमा पत्नी स्व0 बीरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 59 / 53 की कुल 3.6420 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 45 / 47 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के पड़ दादा खिराज से वादी के दादा गणपतराम पर औद हुई। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 59 / 53 की कुल 3.6420 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 45 / 47 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि में से 1 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 6 का प्रतिवादीगण स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण स0 3, 5 व 6 ... भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है ... प्रतिवादी एवं प्रति... स0 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 4 व 5 ... रोही मौजा नगरास... तहसील नोहर की कृषि भूमि बंटवारा में दे दी गई है इसलिए प्रतिवादी स0 4 व 5 का वाद भूमि में कोई हक व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

हिस्सा नही रहा है। इसी आशय की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा लाखासर सम्वत 2075–78 के खाता स0 59 प्रदर्श–1, जमाबंदी रोही मौजा दुर्जाना सम्वत 2076–79 खाता स0 45 प्रदर्श–2, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र अमरसिंह प्रदर्श–3, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र वीरसिंह प्रदर्श–4, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गोपीराम प्रदर्श–5, शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं सरंपच ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 59/53 की कुल 3.6420 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 45/47 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि में से 1 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित दादालाई खातेदारी कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 5 व 6 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः कथन के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा इकबाल पेश किया गया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि

रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/53 की 3.6420 हैक्ट भूमि में वादी को 2/3 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 45/47 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादी को 2/3 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी स0 2 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त खातों से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीली जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1. रोहित पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. गणपत पुत्र खिराज जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. सूर्य प्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. सुमन पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. मांगेराम पुत्र स्व0 गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. विमला देवी पत्नी स्व0 गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. रेशमा पत्नी स्व0 बीरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 907 सन 2022 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/53 की 3.6420 हैक्ट भूमि में वादी को 2/3 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 45/47 की कुल 5.6400 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादी को 2/3 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी स0 2 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त खातों से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 30/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:15 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी